न्यायालय– तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सिंगरौली, मुख्यालय वैढ़न
(समक्ष–धर्मेन्द्र सोनी)

जमानत आवेदन क्र. 200/2026
Filing No. BA/2504/2026
CNR No.MP66010030162026
आरक्षी केन्द्र बैढन का अपराध क्र. 1082/2025

शुभम पाण्डेय उर्फ चिन्टू अभिनेता पिता स्व. जानकी शरण पाण्डेय उम्र–32 वर्ष, निवासी ग्राम खरौध, पयासी ताला, पोस्ट समेरदहा, जिला चित्रकूट (उ.प्र.)

–आवेदक/आरोपी

वि रू द्ध

म0प्र0 राज्य द्वारा थाना बैढ़न, जिला सिंगरौली म.प्र.

–अनावेदक/राज्य

दिनाँक–19.06.2026

यह नियमित जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार अंतरण पर प्राप्त।

आवेदक/आरोपी की ओर से श्री मनोज कुमार जायसवाल अधिवक्ता उपस्थित।

म.प्र. राज्य द्वारा श्री पी. के. नापित अतिरिक्त लोक अभियोजक उपस्थित।

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैढ़न से मूल अभिलेख एवं थाना बैढ़न से अपराध क्रमांक 1082/2025 अंतर्गत धारा 308(2), 3(5) बी.एन.एस. में प्रतिवेदन प्राप्त।

म.प्र. नियम व आदेश (आपराधिक) के नियम 117बी के पालन में पुलिस प्रतिवेदन की नकल अभियुक्त अधिवक्ता को दिलाई गई।

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैढ़न द्वारा आदेश दिनांक 16.04.2026 द्वारा धारा 480 बी.एन.एस.एस. का आवेदन निरस्त किया गया है।

माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा एम.सी.आर.सी. क्रमांक 8227/2023 दीपक बनाम म.प्र. राज्य में प्रतिपादित दिशा निर्देश के पालन में प्रकरण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी निम्नानुसार है:–

1. जमानत आवेदन क्रमांक– 200/2026
2. जमानत आवेदन संस्थित दिनांक–18.06.2026
3. अपराध की दिनांक–25.02.2025 से 30.09.2025 के मध्य

4. अपराध क्रमांक–1082/2025
5. एफ.आई.आर. दर्ज करने की दिनाँक–06.10.2025
6. आरक्षी केन्द्र–बैढ़न
7. गिरफ्तारी दिनांक–14.04.2026
8. न्यायिक अभिरक्षा में लिये जाने का दिनांक–14.04.2026 से निरंतर
9. अनुसंधान की स्थिति–अनुसंधान पूर्ण।
10. अभियोग पत्र की स्थिति–12.06.2026 को पेश।
11. प्रकरण क्रमांक–आर.सी.टी. 655/2026
12. आवेदक/आरोपी का आपराधिक रिकॉर्डः–

क्र.	**आवेदक/आरोपी का नाम एवं उसके पिता का नाम**	**थाना**	**अपराध क्र.**	**धारा**
1.	शुभम पाण्डेय उर्फ चिन्टू अभिनेता पिता स्व. जानकी शरण पाण्डेय	––	––	––

आवेदन पत्र के संबंध में आरोपी की माता मालती देवी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उक्त प्रकरण में पैरवी करने हेतु अधिवक्ता श्री मनोज कुमार जायसवाल को नियुक्त किया है। आवेदक की ओर से यह धारा 483 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत **प्रथम नियमित** प्रतिभूति आवेदन पत्र है तथा इस आशय का अन्य कोई आवेदन पत्र भारत वर्ष, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

अतः उक्त आधार पर आवेदक की ओर से प्रस्तुत यह **प्रथम नियमित** प्रतिभूति आवेदन पत्र होना प्रकट होता है तथा इस आशय का अन्य कोई आवेदन लंबित अथवा निराकृत होना भी प्रकट नहीं होता है।

आवेदक को नियमित जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन इस आधार पर किया गया है कि प्रार्थी/आरोपी को उक्त अपराध में दिनांक 14.04.2026 को गिरफतार किया जाकर जिला जेल पचौर भेज दिया गया है। उसने किसी भी तरह का अपराध कारित नहीं किया है। उसे झूठे तथ्यों के आधार पर थाना बैढ़न की पुलिस द्वारा आरोपी बनाया गया है। फरियादिया आरोपी से कर्ज के रूप में 2 लाख रूपये ली थी। आवेदक उक्त रकम की मांग करने लगा जिसमें से फरियादिया द्वारा कुछ रकम जरिए फोन पे से वापस किया गया बाकी रकम अदा न कर नी पडे इसलिए झूठी रिपोर्ट पंजीबद्ध कराई है। प्रार्थी/आरोपी काफी गरीब है वह अपने तनहा कमाउ व्यक्ति है। आरोपी के पिता की मृत्यु हो गई है तथा वृद्ध व बीमार मां की संपूर्ण जिम्मेदारी प्रार्थी के उपर है। अतः जमानत आवेदन पेश कर

प्रार्थी/आरोपी को सक्षम जमानत मुचलके पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया।

अपर लोक अभियोजक ने इस प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र के संबंध में मौखिक आपत्ति की तथा प्रतिभूति आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

आवेदन पर तर्क श्रवण किये गये।

मूल अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया आंचल मिश्रा द्वारा थाना प्रभारी बैढन को इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आरोपी दिनांक 08.02.2025 को अज्ञात व्यक्ति मोबाईल नंबर 8542822511 से उसके मोबाईल नंबर 9140924425 में फोन करके अपने आपको प्रदीप पाण्डेय उर्फ चिंटू अभिनेता बताया अैर कुछ दिन बात करता रहा उसके बाद शादी का झांसा देकर नग्न वीडियो की मांग की। वह समझ नहीं पाई और दिनांक 25.02.2025 को अपना नग्न वीडियो भेज दिया, इसके बाद उस व्यक्ति ने वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर ब्लेकमेल करना शुरू कर दिया और धीरे–धीरे करके कुल 01 लाख 05 हजार रूपये डेविट नोट, क्रेडिट नोट के माध्यम से, खाता नंबर 42455207449 में व फोन पे नंबर 9140924425 के माध्यम से फोन पे नंबर 8542822511 में ट्रांसफर करवा दिये। इसके बाद अपने दोस्त आरोपी आर्यन यादव को मोबाईल नंबर 923515414 से ब्लेकमेल करवाने लगा। आर्यन यादव ने भी 01 लाख रूपये की मांग की तब उसने 2500 रूपये फोन के माध्यम से ट्रांसफर किये। आरोपी प्रदीप पाण्डेय अलग अलग मोबाईल नंबर से डरा धमका कर पैसों की मांग करने लगा। फरियादिया द्वारा दिये गये आवेदन के आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध थाना बैढन में अपराध क्रमांक 1082/2025 धारा 308(2), 3(5) बी.एन.एस. का पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आरोपी दो माह से जेल में है। विवेचना पूर्ण हो चुकी है। आरोपी को झूठा फसाया गया है, कोई भी वायरल वीडियो बरामद नहीं हुआ है। अतः जमानत का लाभ देने का निवेदन किया गया है।

तर्क के परिप्रेक्ष्य में आवेदन पर सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि आवेदक/आरोपी द्वारा नाबालिग फरियादिया को बहला फूसलाकर उसका अश्लील वीडियो प्राप्त कर वीडियो को प्रसारित करने की धमकी देकर 01 लाख 05 हजार रूपये उद्यापित किये हैं और सहआरोपी को भी उद्यापन के लिये प्रेरित कर 2500 रूपये उद्यापित कराये हैं। वर्तमान में इस प्रकार के अपराधों का प्रचलन काफी बढ गया है। अतः अपराध की

गंभीरता को देखते हुये आवेदक को प्रतिभूति पर रिहा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलतः आवेदक/आरोपी **शुभम पाण्डेय उर्फ चिंटू अभिनेता** की ओर से प्रस्तुत प्रथम नियमित प्रतिभूति आवेदन अंतर्गत **धारा 483 बी.एन.एस.एस. निरस्त** किया जाता है।

आदेश की एक प्रतिलिपि सहित मूल अभिलेख संबंधित न्यायालय, बैढ़न की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जावे।

आदेश की एक प्रति थाना बैढ़न को वापस की जावे।

प्रकरण का परिणाम सी.आई.एस. में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार में जमा हो।

DHARMENDRA SONI
Digitally signed by DHARMENDRA SONI
Date: 2026.06.19 17:21:54 +0530

(धर्मेन्द्र सोनी)
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश,
मुख्यालय बैढन जिला सिंगरौली म0प्र0